



ए.एफ.आर.

सुरक्षित : 12.02.2026

प्रदत्त : 26.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या-2525 वर्ष 1984

राम हिरदय और अन्य

...अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : डी.एस. तिवारी, एस.पी. शुक्ला, शाश्वत शुक्ल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री देवेंद्र सिंह-I

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र धारी सिंह द्वारा पारित)

1. यह मामला सुल्तानपुर जिले से संबंधित है, जो इस न्यायालय की लखनऊ पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है।
2. माननीय मुख्य न्यायाधीश के दिनांक 16.09.1983 के आदेश के तहत मामले को निस्तारण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
3. इस न्यायालय के दिनांक 02.05.2018 के आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या-1 और 3 अर्थात् राम हिरडे और शिव राम की ओर से अपील समाप्त/निष्फल घोषित कर दी गई है।
4. अब यह न्यायालय केवल अपीलकर्ता गुर प्रसाद से संबंधित है।
5. यह आपराधिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति संख्या-78 वर्ष 1979 में पारित एक निर्णय और आदेश दिनांक 18.03.1981 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं राम हिरडे, शिव राम और गुर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रसाद को धारा 302 भ०द०वि०/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मामले के तथ्य

6. प्रस्तुत आपराधिक अपील को संक्षेप में प्रस्तुत करने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पहले सूचनाकर्ता भवानी सेवक द्वारा थाना मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर में एक लिखित रिपोर्ट दायर की गई थी कि पहले सूचनाकर्ता को पांच भाई थे और वे अलग-अलग रहते हैं। एक राम हिरदे उपाध्याय उनके पट्टीदार (सह-हिस्सेदार हैं)। कल उसने अपने भाई महेश नारायण के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसी रंजिश के चलते राम हिरडे ने गांव में ऐलान कर दिया है कि वह सबको मार डालेगा। आज दोपहर करीब 01:00 बजे जब वह अपने भाइयों राजनारायण और भवानी प्रसाद के साथ उनके दरवाजे पर बैठे थे, तभी राम हिरडे बंदूक से लैस थे, गुर प्रसाद और शिव राम ने लाठीचार्ज लेकर अपने भाई को घेर लिया और राम हिरडे ने अपने भाई त्रिभुवन दत्त पर गोली चला दी, जिससे वह घायल होकर गिर गए। फायर की आवाज सुनकर जब पहला सूचनाकर्ता, उसके भाई राजनारायण और भवानी प्रसाद के साथ-साथ गांव के कई लोग मौके पर पहुंचे, तो आरोपी व्यक्ति भाग गए। उसके भाई को बंदूक से चोटें आई हैं।

7. उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, आरोपी राम हिरदया, गुर प्रसाद और शिव राम के खिलाफ धारा 307 भ०द०वि०, प्रदर्श क-3 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

8. घायल त्रिभुवन दत्त को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया था और उनकी चोटों की जांच अ०सा०-3, डॉ. मोहम्मद तौफीक द्वारा की गई थी, जिन्होंने निम्नलिखित चोटें पाईं।

1. लेसरेटेड घाव 17 सेमी x 5 सेमी x मांसपेशी गहरे अंडाकार आकार का घाव दाहिनी धुरी पर छाती के सामने से छाती तक फैला हुआ है लगभग 8 सेमी नीचे दाहिने कंधे के जोड़ से एक्सिला की पीछे की सीमा तक, गहराई निचले हिस्से में अधिक चिह्नित, मार्जिन उलटा, कई घाव की त्वचा के साथ मार्जिन पर मौजूद रक्त घाव के ऊपरी मार्जिन पर लगभग 4 से 5 की संख्या-में गहरी,

कोई टैटू या कालापन नहीं देखा गया, जांच नहीं की गई, घाव की ऊपरी जड़ में छर्रे स्पष्ट नहीं हैं, छोटे कई पंचर घाव हैं, कंधे के जोड़ पर आंदोलन पीछे हट गया है, विसरित सूजन मौजूद है। बाहर निकलने का कोई घाव नहीं देखा गया।

2. चोट संख्या-1 के ठीक नीचे दाहिने हाथ के अंदरूनी पहलू पर 8 सेमी x 4 सेमी एकाधिक घर्षण, और चोट संख्या-1 की निचली सीमा के निकट संपर्क में, कुछ स्थानों पर आधार मार्जिन पर मौजूद थक्का, भूरे रंग का, अन्य स्थानों पर कोई टैटू या काला रंग नहीं देखा गया।

9. चोट संख्या-1 को निगरानी में रखा गया था। चोट संख्या-2 प्रकृति में सरल। एडवोकेट दाएं कंधे का एक्स-रे; आग्नेयास्त्र के कारण सभी चोटें। घायलों की अवधि लगभग 1/4 दिन पुरानी होती है। चिकित्सा जांच 14.03.1978 को दोपहर 03:30 बजे की गई थी। डॉक्टर ने चोट की रिपोर्ट को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है।

10. इसके बाद घायल को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चूंकि घायल सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी थे, इसलिए उन्हें 20.03.1978 को सैन्य अस्पताल लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया और रात 11.35 बजे वहां भर्ती कराया गया, जहां अ०सा०-10, डॉ. मेजर एस.के. जय पुरिया द्वारा उनकी जांच की गई। उन्होंने घायलों की हालत को बहुत गंभीर पाया और मेमो प्रदर्श क-09 के माध्यम से सिविल पुलिस को सूचना भेजी। इलाज के दौरान घायल त्रिभुवन दत्त की उसी रात सैन्य अस्पताल में मौत हो गई।

11. सैन्य अस्पताल द्वारा प्राप्त सूचना पर, उप निरीक्षक आरपी दोहरे 21.03.1975 को सुबह 10-11 बजे कमांड अस्पताल, लखनऊ पहुंचे और पंचनामा प्रदर्श क-8 तैयार की। शव को सील कर थाना के लिए भेज दिया गया। मृतक की मौत के बाद धारा 302 भ०द०वि० के तहत मामले में बदल दिया गया।

12. अ०सा०-7, डॉ. वीरेंद्र बहादुर ने मृतक के शव का शव परीक्षण किया, जिसमें मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष पाई गई। रिगोरमोर्टिस पूरे शरीर में फैल गया। पीठ पर शव

परीक्षण का दाग लगा हुआ है। दोनों आंखें और मुंह बंद थे। दोनों नथुने से आने वाला पीला तरल पदार्थ। डॉक्टर को निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोटें मिलीं:

"सेप्टिक घाव 4 सेमी x 5.5 सेमी x हड्डी गहरी दाहिनी धुरी पर छाती के दाईं ओर छाती के दाईं ओर के सामने की ओर फैली हुई है, निप्पल से 9.5 सेमी ऊपर। घाव के निचले 2/3 रिम में इसके किनारे और झुर्रीदार और गंदे पीले रंग के होते हैं, जबकि किनारों का ऊपरी 1/3 रिम काले रंग का होता है। घाव मवाद से भरा होता है जो मध्य अक्ष के चारों ओर नीचे की ओर बढ़ता है। छाती के निचले हिस्से की ओर रेखा। जबकि अधिकांश कपड़े का एक टुकड़ा काले किनारे के खिलाफ रगड़ दिया गया था, लेकिन कपड़े पर कोई कार्बन कण एकत्र नहीं किया जा सकता था।

13. डॉक्टर ने आगे कहा कि ऊपर बताए गए घाव से कोई छर्ने या वैड प्राप्त नहीं किए गए थे।

14. डॉक्टर की राय में, मृत्यु सेप्टिक घाव के कारण सेप्टीसीमिया और टॉक्सिमिया के कारण हुई थी। डॉक्टर ने शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श क-16 साबित कर दिया है।

15. मामला दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना अ०सा०-11 राधेश्याम तिवारी को सौंपी गई। वह 14.03.1978 को घटनास्थल पर पहुंचे और खून से सनी और सादी मिट्टी को इकट्ठा किया और उन्हें दो बक्सों में सील कर दिया, जिसका मेमो प्रदर्श के रूप में तैयार किया गया था। क-5. उन्होंने नक्शा नज़री प्रदर्श क-20 भी तैयार किया। इसके बाद विवेचना स्थानांतरित कर दी गई। इसके बाद उप निरीक्षक जगन नाथ प्रसाद पांडेय ने जांच पूरी कर आरोप पत्र प्रदर्श क-21 दाखिल की।

16. चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय में सौंप दिया, जहां मामला सत्र विचारण संख्या-78 वर्ष 1979 के रूप में दर्ज किया गया था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, सुल्तानपुर ने दिनांक 06.08.1979 के आदेश के माध्यम से अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 302

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भ०द०वि०/34 के तहत आरोप तय किए। आरोपों को पढ़ा गया और आरोपी को हिंदी में समझाया गया, जिन्होंने खुद को दोषी नहीं ठहराया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

17. अपीलकर्ता के अपराध को पूरी तरह से घर में लाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें से अ०सा०-1, भवानी सेवक, अ०सा०-4, जग राम और अ०सा०-5 राम मूरत मामले के चश्मदीद गवाह हैं, जबकि शेष गवाह औपचारिक हैं।

18. अ०सा०-1, भवानी सेवक पहला सूचनाकर्ता है। अपनी परीक्षा में उन्होंने कहा कि आरोपी राम हिरडे उसका पट्टीदार है, आरोपी शिव राम हिरडे का हल चलाने वाला है और आरोपी गुर प्रसाद राम हिरडे का साथी है। उन्होंने आगे कहा कि वह पांच भाई हैं और वे सभी अलग-अलग घरों में अलग-अलग रह रहे हैं और उनकी अलग-अलग खेती है। इस गवाह ने अपने बयान में आरोपी और मृतक के घरों की लोकेशन के बारे में बताया है। उन्होंने बयान दिया कि घटना के समय राम हिरडे के भाई राम अचैबर के पास सिंगल बैरल लाइसेंसी बंदूक थी। महेश नारायण उनके (भवानी सेवक) बड़े भाई हैं। 1977 में उनके भाई महेश नारायण ने प्रस्तुत अभियुक्तों राम हिंदय, शिव राम और गुर प्रसाद सहित 23 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जो 20.06.1977 को बरी हो गई। अभियुक्त व्यक्ति उस आपराधिक मुकदमे के कारण शत्रुता रखते हैं। उन्होंने आगे गवाही दी कि 13.03.1978 को उनके भाई महेश नारायण पर राम हिरडे ने हमला किया था और इस आशय की रिपोर्ट महेश नारायण द्वारा थाना में दर्ज कराई गई थी। उन्होंने आगे गवाही दी कि 14.03.1978 को सुबह महेश नारायण अपने द्वारा प्राप्त चोटों का एक्स-रे कराने के लिए सुल्तानपुर गए थे। चूंकि महेश नारायण इस घर में अकेले रह रहे थे, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन दत्त (मृतक) को अपने मवेशियों की देखभाल करने के लिए कहा था। उन्होंने आगे गवाही दी कि 14.03.1978 को लगभग 1:00 बजे, वह अपने दरवाजे पर बैठे थे और उनके भाई त्रिभुवन दत्त (मृतक) मवेशियों की देखभाल करने के लिए दोपहर लगभग 12:30 बजे महेश नारायण के घर गए थे। उन्होंने महेश नारायण के घर से आ रही गालियां सुनीं। वह राजनारायण और भवानी प्रसाद के साथ महेश नारायण के घर की ओर बढ़े और जगजीवन के घर के सामने पहुंचने पर उन्होंने

देखा कि आरोपी राम हिरडे बंदूक से लैस थे और शिव राम और गुर प्रसाद के पास लाठियां थीं। राम हिरडे और त्रिभुवन दत्त (दिवंगत) के बीच गरमागरम बातचीत चल रही थी। राम हिरडे और मृतक त्रिभुवन दत्त के बीच करीब 16-17 कदम की दूरी थी। दोनों शब्दों के आदान-प्रदान के बाद, राम हिरडे मृतक के पास आए और गोली चला दी, जिससे दाहिने कुल्हाड़े पर चोट लग गई, जिसके परिणामस्वरूप त्रिभुवन दत्त नीचे गिर गए। जगराम और राम मूरत वहां पहुंचे और आरोपियों को डांटा। घटना की रिपोर्ट अ०सा०-1, भवानी सेवक द्वारा थाना-मुसाफिरखाना प्रदर्श क-1 में दर्ज कराई गई। इसके बाद वह अपने भाई को मुसाफिरखाना के अस्पताल ले गया। इस गवाह ने आगे गवाही दी कि उसके बाद, उसके भाई को इलाज के लिए सदर अस्पताल, सुल्तानपुर भेजा गया और उसके बाद उसे सैन्य कमान अस्पताल, लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 21.03.1978 को उसकी मृत्यु हो गई।

19. अ०सा०-2, एसआई कांध्या सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में गवाही दी कि 14.03.1978 को वह थाना मुसाफिरखाना में हेड मुहर्रिर के रूप में तैनात थे। उस तारीख को उन्होंने दोपहर 03:05 बजे चिक रिपोर्ट प्रदर्श क-1 तैयार किया, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया।

20. अ०सा०-3, डॉ. मोहम्मद तौफीक ने घायलों की चोटों की जांच की थी, जिसका विवरण पहले ही ऊपर दिया जा चुका है।

21. अ०सा०-4, जग राम, जो खुद को घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में गवाही दी कि घटना की तारीख को दोपहर में लगभग 12:00 बजे, वह अपने दरवाजे पर मौजूद था जो त्रिभुवन (मृतक) के घर के दक्षिण की ओर है। उन्होंने त्रिभुवन (मृतक) को सार्वजनिक रास्ते से महेश नारायण के घर की ओर जाते देखा। कुछ देर बाद आरोपी राम हिरडे बंदूक से लैस और आरोपी शिव राम और गुर प्रसाद लाठियों से लैस महेश नारायण के घर की दीवार के पास पहुंच गए जो सार्वजनिक रास्ते पर है। उन्होंने आगे बयान दिया कि राम हिरडे ने त्रिभुवन दत्त को गाली देना शुरू कर दिया। भवानी सेवक और अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। त्रिभुवन दत्त (मृतक) भी

सार्वजनिक रास्ते पर आ गए। राम हिरडे के त्रिभुवन दत्त को मारने की उकसाने पर शिव राम और गुर प्रसाद आगे बढ़े। उसी समय राम हिरडे ने मृतक पर गोली चला दी, जिससे वह गिर गया। मौके पर खून भी बह रहा था। खून से सनी और सादी मिट्टी को सब-इंस्पेक्टर ने अपनी उपस्थिति में अपने कब्जे में ले लिया, जिसका मेमो प्रदर्श क-5 तैयार किया गया था, जिस पर उन्होंने अपने अंगूठे का निशान लगाया था।

22. घटना के एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अ०सा०-5, राम मूरत ने गवाही दी कि लगभग दो साल पहले लगभग 01:00 बजे, वह महेश नारायण के दरवाजे पर स्थित कुएं में स्नान कर रहे थे। त्रिभुवन दत्त (मृतक) भी वहां पहुंचे और मवेशियों को चारा खिलाने लगे। हालांकि, उन्होंने किसी को देखने या किसी को गाली देने से इनकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी को भी त्रिभुवन दत्त पर गोली चलाते नहीं देखा था।

23. इस बयान पर, अ०सा०-5, राम मूरत को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है और अभियोजन पक्ष को उससे जिरह करने की अनुमति दी गई थी।

24. अ०सा०-6, महेश नारायण, घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। उन्होंने राम हिरडे और अन्य लोगों के साथ अपनी दुश्मनी के बारे में गवाही दी। उन्होंने आगे गवाही दी कि उन्होंने राम हिरडे और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की जो 20.06.1977 को बरी हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें फिर से राम हिरडे द्वारा लाठी से मारा गया था और उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी प्रति प्रदर्श क-6 है। वह अपने घर में अकेले रह रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उनका बेटा पटियाला में अपने परिवार के साथ रह रहा था। 14.03.1978 को, वह अपनी चोटों का एक्स-रे कराने के लिए सुल्तानपुर गए और त्रिभुवन दत्त को उनकी अनुपस्थिति में अपने मवेशियों की देखभाल करने के लिए कहा। वह शाम को वापस आया और उसे घटना के बारे में पता चला।

25. अ०सा०-7, डॉ. वीरेंद्र बहादुर ने शव का शव परीक्षण किया था और उनके बयान पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

26. अ०सा०-8, बोध राम ने अपनी मुख्य परीक्षण में गवाही दी कि 21.3.1978 को वह थाना कैंट, लखनऊ में तैनात था। उप निरीक्षक आरपी दोहरे द्वारा उनकी उपस्थिति में इंकवेस्ट प्रदर्श क-8 तैयार किया गया था। वह संबंधित दस्तावेजों के साथ शव को भी थाना के लिए ले गया था।

27. अ०सा०-9, सैन्य अस्पताल, लखनऊ का एक कर्मचारी राम लाल भी जांच का गवाह है, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा तैयार किया गया था।

28. अ०सा०-10, मेजर एस.के. जय पुरिया, विशेष शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए 20.03.1978 को कमांड अस्पताल लखनऊ में तैनात थे। उन्होंने मृतक के प्रवेश के दौरान उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में गवाही दी।

29. अ०सा०-11, उप निरीक्षक राधे श्याम तिवारी मामले के पहले विवेचनाधिकारी थे, जिनके साक्ष्य पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

30. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ताओं के बयान धारा 313 द०प्र०स० के तहत दर्ज किए गए, जिन्होंने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें पिछली दुश्मनी के कारण प्रस्तुत मामले में घसीटा गया है और मुकदमा चलाने का दावा किया गया है।

31. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर ने पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों पर मौजूद सबूतों का आकलन, मूल्यांकन और जांच करने के बाद, अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

32. इसलिए, यह अपील।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

33. अपीलकर्ता-गुर प्रसाद के अधिवक्ता श्री शाश्वत शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि केवल जीवित अपीलकर्ता गुर प्रसाद को धारा 34 भ०द०वि० की सहायता से दोषी ठहराया गया है और उसे कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं सौंपा गया है। उसे लाठी से लैस दिखाया गया था, लेकिन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न तो किसी गवाह ने यह कहा है कि गुर प्रसाद ने मृतक पर लाठी से हमला किया था और न ही अ०सा०-3, डॉ. मोहम्मद तौफीक, जिन्होंने मुसाफिरखाना में घायलों की जांच की है और अ०सा०-7 वीरेंद्र बहादुर, जिन्होंने मृतक के शरीर पर थाना परीक्षा की, ने लाठी के कारण कोई चोट पाई है। यह बताया गया है कि धारा 34 भ०द०वि० के लिए आवश्यक है कि सभी आरोपी व्यक्ति एक समान इरादा साझा करें और आपराधिक कृत्य में भाग लें।

34. श्री शाश्वत शुक्ला ने आगे बताया कि धारा 34 भ०द०वि० के तहत दोषसिद्धि के लिए, अभियोजन पक्ष को एक पूर्व-निर्धारित योजना या मन की बैठक साबित करनी होगी, जो इस मामले में गायब है। वह प्रस्तुत करता है कि केवल घटनास्थल पर उपस्थित होना हत्या करने का सामान्य इरादा साबित नहीं करता है। अपने मामले के समर्थन में, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य (2025 आई.एन.एस.सी. 114) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

35. दूसरी ओर, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-वादी श्री एस.के. ओझा ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता गुर प्रसाद लाठी-लाठी से लैस होकर घटनास्थल पर मौजूद था और इसलिए, वह धारा 302/34 भ०द०वि० के तहत अपनी दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

36. अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया।

37. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 का आह्वान करने के लिए यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सभी की सामान्य मंशा को अग्रसर करने के उद्देश्य से किया गया था। अतः यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि—

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) अनेक व्यक्तियों की किसी विशिष्ट अपराध को करने की सामान्य मंशा थी; तथा
- (ii) उक्त अपराध वास्तव में उन्हीं व्यक्तियों द्वारा उस सामान्य मंशा को अग्रसर करने के उद्देश्य से किया गया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अधीन दायित्व का सार यह है कि आपराधिक कृत्य में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन में किसी विशिष्ट परिणाम को उत्पन्न करने के लिए एक साथ, सजग एवं समवर्ती मानसिक एकरूपता विद्यमान हो। प्रत्येक अभियुक्त के संबंध में कोई प्रत्यक्ष कृत्य सिद्ध हो जाने पर सामान्य मंशा के साझाकरण के संबंध में मानसिक एकरूपता की आवश्यकता पूर्ण मानी जाती है।

सामान्य मंशा का अभिप्राय पूर्वनियोजित योजना तथा उस पूर्वनियोजित योजना के अनुसरण में परस्पर समन्वय के साथ कार्य करना है। सामान्य मंशा से तात्पर्य उस अपराध को करने की मंशा से है जो वास्तव में किया गया हो, और प्रत्येक अभियुक्त को उस अपराध के लिए तभी दोषसिद्ध किया जा सकता है जब उसने उस सामान्य मंशा के क्रियान्वयन में सहभागिता की हो।

38. इस बिंदु पर सबसे पहला निर्णय **महबूब शाह बनाम सम्राट, ए.आई.आर. 1945 पीसी 118** है, जिसमें यह निम्नानुसार अवधारित किया गया था: -

धारा 34 भ०द०वि० आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निर्धारित करती है। यह धारा "सभी के सामान्य इरादे" नहीं कहती है और न ही यह "सभी के लिए सामान्य इरादा" कहती है। धारा के तहत, उस दायित्व का सार एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में पाया जाना चाहिए जो अभियुक्त को इस तरह के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक आपराधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। धारा 34 भ०द०वि० की सहायता को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि जिस आपराधिक कृत्य के खिलाफ शिकायत की गई थी, वह सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी व्यक्तियों में से एक द्वारा किया गया था; यदि यह दिखाया जाता है, तो अपराध के लिए किसी एक व्यक्ति पर उसी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तरह से दायित्व लगाया जा सकता है जैसे कि कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया था। यह सिद्धांत होने के नाते, न्यायमूर्ति के लिए यह स्पष्ट है कि धारा के अर्थ के भीतर सामान्य इरादा एक पूर्व-व्यवस्थित योजना का तात्पर्य है, और धारा को लागू करने वाले अपराध के आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कार्य पूर्व-व्यवस्थित योजना के अनुसार किया गया था। जैसा कि अक्सर देखा गया है, किसी व्यक्ति के इरादे को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं तो मुश्किल है; ज्यादातर मामलों में इसका अनुमान उसके कार्य या आचरण या मामले की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए।"

39. गद्दार चंद्र बनाम वेट बंगाल राज्य, (2022)6 एस.सी.सी. 576 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को धारा 34 भ०द०वि० की सहायता से दोषी ठहराने के फैसले को रद्द करते हुए, निम्नानुसार अवधारित किया गया:

"जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लगातार कहा गया है, धारा 34 भ०द०वि० द्वारा विचार किया गया सामान्य इरादा पूर्व संगीत कार्यक्रम से पहले मानता है। इसके लिए मन की बैठक की आवश्यकता होती है। इससे पहले कि एक आदमी को दूसरे के आपराधिक कृत्य के लिए परोक्ष रूप से दोषी ठहराया जा सके, इसके लिए एक पूर्व-व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है। आपराधिक कार्य सभी अभियुक्तों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया होगा। किसी दिए गए मामले में, योजना अचानक बनाई जा सकती है। प्रस्तुत मामले में दो महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहों की गैर-परीक्षा एक पूर्व संगीत कार्यक्रम और पूर्व-व्यवस्थित योजना के अस्तित्व के बारे में अभियोजन पक्ष के मामले को बेहद संदिग्ध बनाती है।"

40. कांस्टेबल 907 सुएंदर सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, (2025)5 एस.सी.सी. 433, एक ऐसा मामला था जिसमें मारुति कार में शराब की तस्करी के बारे में गुप्त जानकारी के आधार पर, हेड कांस्टेबल अपीलकर्ताओं के साथ तीन कांस्टेबल अपनी इंडिका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कार में मारुति कार को रोकने के लिए निकले। मारुति कार को रोकने के लिए, हेड कांस्टेबल ने अपनी रिवाल्वर से एक ही गोली चलाई, जो मारुति कार के चालक की पत्नी को लग गई, जो अपने अस्थायी क्षेत्र में आगे की सीट पर बैठी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत अपनी रिवाल्वर से गोली चलाने वाले हेड कांस्टेबल को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, लेकिन तीनों कांस्टेबलों को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया। अपील में तीनों कांस्टेबलों के खिलाफ धारा 34 भ०द०वि० लगाकर बरी किए जाने को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया है"

"27. इन कारकों पर विचार करने पर, विचारण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भले ही यह मान लिया जाए कि शेष तीन आरोपी अभियुक्त-जगदीश सिंह के साथ थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सबूत नहीं था कि आरोपी संख्या-2, 3 और 4 (अपीलकर्ता), जो अभियुक्त-जगदीश सिंह के साथ कार में थे, ने मृतक पर गोली चलाने या मारने का उसके साथ एक सामान्य इरादा साझा किया था।

28. इसलिए, विचारण न्यायाधीश ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी संख्या-2, 3 और 4 (यहां अपीलकर्ता) की मानसिक भागीदारी को साबित करने में विफल रहा था, जो उचित संदेह की छाया से परे अभियुक्त-जगदीश सिंह के साथ कार में थे।

29. हालांकि, विचारण न्यायालय के इस उचित निष्कर्ष को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर परेशान कर दिया है कि शेष तीन आरोपी अभियुक्त-जगदीश कुमार के साथ एक ही वाहन में बैठे थे, जो धारा 34 भ०द०वि० की सहायता से उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त था।

30. अब तक यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि धारा 34 भ०द०वि० की सहायता से अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष को मन की पूर्व बैठक स्थापित करनी चाहिए। यह स्थापित किया जाना चाहिए कि सभी अभियुक्तों ने पूर्व-नियोजित था और उस अभियुक्त के साथ अपराध करने का एक सामान्य इरादा साझा किया था जिसने वास्तव में अपराध किया है। यह स्थापित किया जाना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

चाहिए कि सभी आरोपियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्य किया गया है।

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अब इस बात पर विचार करेगा कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि अपीलकर्ताओं ने त्रिभुवन दत्त की हत्या करने में सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने और अपीलकर्ताओं को धारा 302 सपठित धारा 34 भ०द०वि० के तहत दोषी ठहराते हुए रचनात्मक दायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराया।

42. अ०सा०-1, भवानी सेवक, जो मृतक के भाई हैं, द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ आरोपों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि घटना की तारीख को जब वह अपने भाई राजनारायण के साथ बैठे थे और भवानी प्रसाद उनके दरवाजे पर खड़े थे, राम हिरडे बंदूक से लैस थे, गुरु प्रसाद और शिव राम ने लाठी-लाठी ले जा रहे थे, अपने भाई को घेर लिया और राम हिरडे ने अपने भाई त्रिभुवन दत्त पर गोली चला दी। जिससे वह घायल होकर गिर गया। पहले सूचनाकर्ता ने अपने बयान में यह भी कहा है कि राम हिरडे बंदूक से लैस था, जबकि गुरु प्रसाद और शिव राम के पास लाठियां थीं। राम हिरडे ने अपने भाई त्रिभुवन दत्त पर गोली चला दी।

43. अ०सा०-4, जग राम, जिसने खुद को मामले का चश्मदीद गवाह होने का दावा भी किया था, ने अपने बयान में कहा है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो आरोपी राम हिरडे ने कहा कि त्रिभुवन दत्त को मार दिया जाए। शिव राम और गुरु प्रसाद हाथों में लाठियां लेकर त्रिभुवन दत्त की ओर बढ़े। वहीं, राम हिरडे ने त्रिभुवन पर गोली चला दी।

44. अ०सा०-5, राम मूरत, जो मामले के गवाह थे, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही गए।

45. दोनों चश्मदीद गवाहों अर्थात् अ०सा०-1, भवानी सेवक और अ०सा०-4, जग राम ने अपने बयान में केवल यह कहा है कि प्रस्तुत अपीलकर्ता गुरु प्रसाद और शिव राम (अब

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मृत) केवल लाठी पहनकर घटनास्थल पर खड़े थे। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह द्वारा प्रस्तुत अपीलकर्ता गुर प्रसाद को कोई भूमिका सौंपने के साक्ष्य में कोई संकेत नहीं है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा राम हिरडे (जिनकी अपील को निष्फल कर दिया गया है) को उकसावा और फायरिंग दोनों की भूमिका सौंपी गई है और प्रस्तुत अपीलकर्ता गुर प्रसाद को लाठी के साथ घटनास्थल पर खड़े होने के अलावा कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है।

46. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष धारा 34 भ०द०वि० की सहायता से अपीलकर्ता-गुर प्रसाद के अपराध को स्थापित करने में विफल रहा है।

47. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है। अपर सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर द्वारा एस टी संख्या-78 वर्ष 1979 में पारित दिनांक 18.03.1981 के आदेश को अपास्त किया जाता है, जिसमें अपीलकर्ता गुर प्रसाद को धारा 302 भ०द०वि०/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

48. अपीलकर्ता-गुर प्रसाद जमानत पर है। उनका जमानत बांड रद्द किया जाता है और जामिनान को उन्मोचित किया जाता है।

49. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को भेजे और अनुपालन रिपोर्ट दो महीने के भीतर इस न्यायालय को प्रस्तुत की जाए।

(न्यायमूर्ति श्री चन्द्र धारी सिंह)

(न्यायमूर्ति श्री देवेंद्र सिंह-1)

26 फरवरी, 2026

इशरत